

४९६/बृ.आर

१-१-१६

उत्तर प्रदेश सरकार  
उच्च न्युक्लियार स्वीकृतिमय वर्ष ३० भाग-२  
संख्या :- ००४११/५२-२-७२०/९६  
लखनऊ, दिनांक, १९ अगस्त, १९९६।

### अधिकारी

वैकि दबरु उपरिनियम, १९९५। अधिनियम संख्या-४३ त्रृ, १९९६। उत्तर प्रदेश राज्य में। कलारी, १९९६, जो प्रयुक्त हो चुका है।

उत्तर प्रदेश उपरिनियम की पारा ५ द्वारा प्रदत्ता शिक्षा का व्योग वहके दायर्यात उत्तर प्रदेश में सभी जिलों के साहस्र उपखण्डों के उपखण्ड मण्डलों को उक्त उपरिनियम के प्रारम्भ के उक्त दिनांक हो विधान सभा तम्यतितापी वा संवेदन छने के पूर्वीकार्य आनी-आनी अधिकारिता की हीमा के भीतर प्रदेश सरकार द्वारा प्रयुक्त नियम करते हैं।

आशा है,

मुख्यमन्त्री  
तथा

संख्या :- ००४११/५२-२-७२०/९६

प्रतिलिपि, अधिकारी के ओर से स्वान्तर ही प्रति तडित संयुक्त नियम, राजीवीय गृहन्यात्य, लखनऊ को साकारी गहरे के आवासी और में प्रदानार्थ प्रेषित।

आशा है,

मुख्यमन्त्री  
तथा

संख्या :- ००४११/५२-२-७२०/९६

- प्रतिलिपि, नियम लिखित की सुनार्थ स्वीकृतार्थ छोड़ प्रेषित:-
- ११। सर्वे कमिशनर आरू पर्सन, ८२४-ज्योहर भवन, लखनऊ।
  - १२। समस्त मन्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
  - १३। समस्त जिलापिलारी, उत्तर प्रदेश।
  - १४। समस्त परागनापिलारी, उत्तर प्रदेश।
  - १५। नियोगी, उच्च संघर्ष वस्त्र्यान विभाग, ३० प्र०, लखनऊ।
  - १६। एवं न्युक्लियार, ३० प्र० वर्ष के विकास विभाग, लखनऊ।
  - १७। संविधि, रियास एवं तुन्नी तेन्द्रिय वर्ष बोर्ड, ३० प्र०, लखनऊ।
  - १८। समस्त जिला उच्च संघर्ष वस्त्र्यान अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आशा है,

मुख्यमन्त्री  
तथा